


हॉन्गकॉन्ग की चुनावी प्रणाली में परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन ने हॉन्गकॉन्ग की चुनावी प्रणाली में कई बड़े बदलाव किये हैं।

- यह कदम जून 2020 में [राष्ट्रीय सुरक्षा कानून](#) लागू करने के बाद चीन द्वारा [हॉन्गकॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र](#) (HKSAR) पर अपनी आधिकारिक पकड़ को मज़बूत करने के प्रयासों का हिस्सा है।



प्रमुख बिंदु:

नई चुनावी प्रणाली:

- **वधिनपरषिद की सदस्यता में वृद्धि:**
 - इस बदलाव के तहत हॉन्गकॉन्ग की वधिनपरषिद (HKLC) के सदस्यों की संख्या बढ़कर 90 हो जाएगी। साथ ही बढ़ी हुई सीटों के लिये अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, जिससे निर्वाचन प्रतिनिधियों की हस्तिसेदारी कम हो जाएगी।
 - वर्तमान में HKLC के कुल 70 सदस्यों में से केवल आधे सदस्य ही सीधे चुने जाते हैं और बाकी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
- **चुनाव समिति का वसितार:**
 - चुनाव समिति (हॉन्गकॉन्ग इलेक्टोरल कॉलेज) में चीन से मनोनीत सदस्यों को शामिल करने के लिये इसका वसितार किया गया है।
 - चुनाव समिति पहिले की तरह मुख्य कार्यकारी या चीफ एक्जीक्यूटीव (Chief Executive) का चुनाव करने के लिये उत्तरदायी होगी और यह HKLC के कुछ सदस्यों का भी चुनाव करेगी।
- **नई उम्मीदवार की योग्यता:**
 - नई उम्मीदवार योग्यता समीक्षा समिति की स्थापना के माध्यम से चुनावों के लिये "देशभक्त" उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रभाव:

- यह परिवर्तन हॉन्गकॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (HKSAR) के संचालन में चीन द्वारा नियुक्त राजनेताओं के प्रभाव/हस्तक्षेप को बढ़ाएगा, जो वर्ष 1997 के सत्ता हस्तांतरण के बाद सबसे बड़े बदलाव को चिह्नित करता है।
- बीजिंग समर्थक अधिकारियों की बढ़ी हुई संख्या शहर के नेतृत्व को प्रभावित करने में वपिक्ष की शक्त को कमज़ोर कर देगी।
- यह उस राजनीतिक स्वतंत्रता को समाप्त कर देगा जो हॉन्गकॉन्ग को "एक देश, दो प्रणाली" मॉडल के तहत मुख्य भूमि (चीनी जन-गणराज्य या पी.आर.सी.) से अलग करता था।

भारत के लिये नहितारथ:

- हॉन्गकॉन्ग वैश्विक बाज़ार में भारतीय वस्तुओं के पुनर्नरियात का एक प्रमुख केंद्र है।
 - हॉन्गकॉन्ग भारत के लिये चौथा सबसे बड़ा नरियात बाज़ार है।
- भारत का मत है कि हॉन्गकॉन्ग चीन के साथ इसके संबंधों को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिया सकता है, क्योंकि इसे चीन का प्रवेश द्वार माना जाता है।
- ऐसे में हॉन्गकॉन्ग में राजनीतिक अशांति के कारण उत्पन्न वैश्विक तनाव शेष वरिष और चीन के साथ भारत के व्यापार को भी प्रभावित कर सकता है।

आलोचना:

- **यूरोपीय संघ** ने इन परिवर्तनों की नदि करते हुए चीन को व्यापक प्रतर्बिंधों की चेतावनी दी है।
- **G7** ने इस बदलाव को हॉन्गकॉन्ग में असहमतपूरण आवाज़ों एवं वरिचारों को दबाने की दशिा में एक कदम बताया है।
- वरिष की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं (जैसे-संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया) ने इस कदम की नदि की है और चीन से एक अधिक सहभागी और प्रतर्निधित्व वाली व्यवस्था के संचालन की अनुमतद्विने का आग्रह कयिा है।
- यह परिवर्तन 'चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा' (Sino-British Joint Declaration) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।

चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा :

परचिय

- यह चीन की संप्रभुता के तहत हॉन्गकॉन्ग को लेकर यूनाइटेड किंगडम और चीन के बीच वरष 1985 में हस्ताक्षरति एक संधि है।
- इस संधि के मुताबकि, चीन 1 जुलाई, 1997 से अफीम युद्ध (वरष 1840) के बाद ब्रिटिन के कब्जे वाले हॉन्गकॉन्ग का नरियंत्रण पुनः प्राप्त कर लेगा।
 - **अफीम युद्ध:** ये चीन के चंगि राजवंश और यूरोप के बीच लड़े गए युद्ध थे। ये दोनों युद्ध अफीम व्यापार पर अंकुश लगाने के लिये चंगि राजवंश के प्रयासों का परिणाम थे।
 - पहला युद्ध वरष 1839 से वरष 1842 के बीच, जबकि दूसरा युद्ध वरष 1856 से वरष 1860 के बीच लड़ा गया था।

प्रावधान

- इस संधि में कहा गया है कि हॉन्गकॉन्ग के बारे में चीन की बुनयिादी नीतियों 50 वरषों तक अपरवरिर्तति रहेंगी और हॉन्गकॉन्ग के लिये उच्च स्तर की स्वायत्तता सुनश्चिति की जाएगी। इन नीतियों को हॉन्गकॉन्ग के 'बेसकि लों' के तहत नरिधारति कयिा गया है।
 - वरष 1997 से हॉन्गकॉन्ग को शासति करने वाले 'बेसकि लों' के मुताबकि, हॉन्गकॉन्ग वरिष प्रशासनिक कषेत्र, चीन का हसिसा तो है, कतिु वदिश नीति और रक्षा मामलों के अतरिकित हॉन्गकॉन्ग को काफी अधिक 'स्वायत्तता' एवं 'कार्यकारी, वधिायी तथा स्वतंत्र न्यायकि शक्तियों प्राप्त हैं।
 - इसके मुताबकि, चीन की समाजवादी प्रणाली और नीतियों 50 वरषों के लिये हॉन्गकॉन्ग पर लागू नहीं होंगी।

आगे की राह

- इस नए कानून से हॉन्गकॉन्ग के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन पर काफी गंभीर प्रभाव पड़ेगा और वरष 1997 में चीन को सौंपे जाने पर हॉन्गकॉन्ग को प्रदान की गई स्वायत्तता पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और नए चुनावी परिवर्तनों के साथ हॉन्गकॉन्ग में लोकतंत्र समर्थक वपिक्ष के लिये काफी कम स्थान रह गया है।
- चीन को अपने कानूनी दायित्वों के अनुरूप कार्य करना चाहिये और हॉन्गकॉन्ग में मौलिक अधिकारों एवं हॉन्गकॉन्ग की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिये।

स्रोत: द हट्टू